डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

A+ NAAC

पत्रांक : सम्ब0/1520/2026 दिनांक : 29/05/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक/सचिव (प्रबन्ध समिति),
शान्ति देवी महाविद्यालय,
मैनपुरी। (कॉलेज कोड–327)

विषयः– सत्र 2026–27 से महाविद्यालय में नवीन प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपजिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा प्रेषित जांच आख्या तथा महाविद्यालय से सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि महाविद्यालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए गए भूमि सम्बन्धी अभिलेखों एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्रों में भूमि के विवरण, गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल में असंगतियाँ एवं विरोधाभास पाए गए हैं, जो प्रथमदृष्टया संदिग्ध प्रतीत होते हैं। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा भी व्यक्त की गई है।

उक्त प्रकरण मा० कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.05.2026 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय में सत्र 2026–27 से नवीन प्रवेश प्रक्रिया स्थगित रखी जाए।

अतः कार्यपरिषद् के उक्त निर्णय के अनुपालन में महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2026–27 से आगामी आदेशों तक नवीन प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाते हैं। साथ ही महाविद्यालय पूर्व से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का पठन–पाठन का कार्य सुचारू रूप से नियमानुसार पूर्ण कराया जाना भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

/

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा डिग्री अर्थ–1 अनुभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा–अलीगढ़ परिक्षेत्र, आगरा।
4. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. प्रवेश समन्वयक, सत्र 2026–27 को इस आशय से कि उक्त महाविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित न किया जाये।
6. अधीक्षक, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
7. सम्बन्धित एजेंसी को इस आशय से कि उक्त सूचना महाविद्यालय लॉगिन पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett